न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/19

1 हरखाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 18बीडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

1. जसोदा पुत्री हरखाराम जाति जाट निवासी 18बीडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1 गेनाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

2 सुगनी पत्नि गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

3 मनीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

4 अमानाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

5 संतोष पत्नि अमानाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

6 केसुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट वैष्णो धाम के पीछे तहसील व जिला बीकानेर।

7 चनणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी 20 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

8 चगड़सिंह पुत्र बचनसिंह जाति मजबीसिख निवासी 20 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

9 डूंगरमल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी दिखणादा बास नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

10 श्यामसुन्दर पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी दिखणादा बास नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

11 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

12 एस.बी.बी.जे. शाखा खाजूवाला जरिए शाखा प्रबंधक खाजूवाला।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2 श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ता 6की ओर से।

3 श्री भूपेन्द्रसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 7 ता 8 की ओर से।

4 अप्रार्थी सं0 9 ता 10 एकपक्षीय कार्यवाही।

5 श्री कृष्णकुमार विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 12 की ओर से।

6 पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– 13.03.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार कि वादगत भूमि वाके चक 18 बी.डी. (ए) के मुरब्बा नं0 95/64 के किला नं0 1 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 2 ता 9 तादादी 8 बीघा, किला नं0 10 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 11 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 12 ता 19 तादादी 8 बीघा, किला नं0 20 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 21 18 बिस्वा, किला नं0 22 ता 25 तादादी 4 बीघा कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा में स्थित है। जिसमें किला 1 ता 20 तादादी 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी सं0 1 की खातेदारी भूमि है तथा किला नं0 21 ता 25 तादादी 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी सं0 2 की खातेदारी भूमि है। दिनांक 06.07.2018 को प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने वादगत भूमि पर बने कच्चे मकान का ताला तोड़कर नाजायज कब्जा कर लिया जिसके बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 के विरूद्ध एफ.आई.आर. सं0 157 दिनांक 06.07.2018 को दर्ज करवाई और प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त वादगत भूमि पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जाकर उक्त वादगत भूमि को बहैसीयत रिसीवर अपने कब्जे में लेने की इस्तदुवा चाही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तामिल होने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 6 एवं 7 ता 8 व 12 मय अधिवक्ता उपस्थित आये और अप्रार्थी सं0 9 ता 10 बावजूद तामिली उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की आवंटनशुदा खातेदारी भूमि है, जिसपर आवंटन से लेकर आजतक अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास कर कब्जा काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण ने अप्राथीगण की भूमि की को फर्जी दस्तावेजों व अन्य व्यक्ति को खड़ा कर उक्त भूमि का बैयनामा अपने नाम से करवाया है, जिसके लिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खिलाफ पी.एस. पूगल में एफ.आई.आर. 82 दिनांक 23.10.2018 व पी.एस. सदर बीकानेर में 339 दिनांक 17.09.2018 दर्ज करवाई, जिसकी जॉच विचाराधीन है, तथा विक्रय पत्र निरस्त करवाने हेतु डीजे कोर्ट बीकानेर के प्रार्थना सं0 90/18 तथा प्रार्थनाा सं0 19/18 पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थीगण को दिनांक 16.10.2018 से उक्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। अप्रार्थीगण 1 ता 6 अपनी कृषि भूमि चक 18 बी.डी. में मु0नं0 95/64 के किला नं0 1 ता 25 सालम 25 बीघा में आवंटन से लेकर आज तक मकान बनाकर काबिज काश्त है तथा प्राथीगण ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि को अपने नाम करवाया है, जिसकी तमाम जाँच सिविल न्यायालय बीकानेर और पी.एस.

पूगल व सदर थाना बीकानेर में विचाराधीन है, प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा व रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना निराधार है। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब के साथ रूलिंग पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दौराने विचारण वाद उक्त भूमि को रिसिवर करने का निवेदन किया अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब के कथनों को दोहराते हुऐ बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैलाफाइड आश्य से पेश किया गया है चूंकि उक्त वादगत भूमि बाबत पहले से ही सिविल वाद विचाराधीन है तथा फौजदारी कार्यवाही जैरकार है । जहां सिविल अदालत में वाद जैरकार है तो यहां रिसिवर का कोई औचित्य नहीं है और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति अप्रार्थीगण को है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो और बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि उक्त वादगत भूमि बाबत दोनों पक्षकारों में सिविल वाद जैरकार है तथा फौजदारी कार्यवाही चल रही है। रिसिवर के लिए सक्षम सिविल न्यायालयों में चाराजाही की जानी चाहिए। चूंकि हित व राइट्स संबंधी घोषणा सिविल दावा में ही होगी। प्रार्थी अन्य अदालतों के प्रकरण जैरकार रहते यहां किसी प्रकार का उपचार नहीं ले सकता। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असक्षम रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र रिसिवर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: